

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22


जयपुर, दिनांक 19-06-2023

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के कार्मिक श्री सुखदेव सिंह, सहायक विधि परामर्शी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 01.03.2023 (क्रम संख्या-1 पर अंकित) द्वारा अपने पद के कार्य के साथ-साथ सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय पंचायती राज विभाग, सचिवालय जयपुर में सप्ताह में 4 दिवस मंगलवार से शुक्रवार तक अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित गया था।

श्री सुखदेव सिंह को दिये गये अतिरिक्त कार्य के उक्त आदेश को प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

आज्ञा से


(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाए।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव